न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 51 / 2022

अनवान :–

1. कृष्ण पुत्र लेखु जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. अमरसिह पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

3. ओमप्रकाश पुत्र लेखू जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. जगमाल पुत्र लेखु जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. जयसिह पुत्र लेखु जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. बादु पत्नी लेखु जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
7. लिछमण पुत्र लेखु जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
8. देवीलाल पुत्र लेखु जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
9. सावत्री पत्नी नत्थुराम जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
10. मंगला पुत्र नत्थुराम जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री विजयसिह अधिवक्ता अप्रार्थीगण / गैरसायल
निर्णय दिनांक : 02/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 149 / 142 की कुल 4.5540हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी गैरसायलान संख्या 3 ता 10 की मुश्तरका खाते की खातेदारी भूमि है तथा रोही मोजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 4 / 3 की कुल 2.5300हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल व तरतीबी गैरसायलान अपने गांव चारणवासी से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गेरसायल संख्या 1 के खेत रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 4 / 3 के प0न0 339 / 377(21) के किला न0 20 के मिन पश्चिम की 0.013हैक्ट व 21 मिन पश्चिम की 0.013हैक्ट भूमि में से होते हुए अपने खेत के प0न0 339 / 377 के किला न0 11 में प्रवेश करते है यही रास्ता सुविधाजनक व सबसे नजदीक रास्ता है।

सायल व तरतीबी गैरसायलान को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यही सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता है जिसे स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 के खेत प0न0 339 / 377(21) के किला न0 20 मिन पश्चिम की 0.013हैक्ट व 21 मिन [illegible] रास्ता के बदले में सायल व तरतीबी गैरसायलान अपनी भूमि प0न0 339 / 377 [illegible] न0 11 में रास्ता की भूमि को छोडकर मिन दक्षिण की 0.026हैक्ट भूमि [illegible] 1 के चिपते हुए देने को तैयार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:45 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] जाकर गैरसायल [illegible] की भूमि रोही मोजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 4 / 3 के प0न0 339 / 377(21) के किला न0 20 मिन पश्चिम की 0.013हैक्ट व 21 मिन पश्चिम की 0.013हैवै भूमि में रास्ता स्वीकृत कर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे एव बदले में सायल व तरतीबी गैरसायलान की भूमि के प0न0 339/377 के किला न0 11 में रास्ता की भूमि को छोडकर मिन दक्षिण की 0.026हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 के विरूद्व कोई अनुतोष नही है इनका अनुतोष सायल में निहित होने के कारण तल्बी की आवश्यकता नही गैरसायल संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

गैरसायल का खेत गांव के दक्षिण की तरफ पडता है तथा नहर पार कर सिर्फ एक पत्थर दुर खेत है तथा सायल व तरतीबी गैरसायल ने इससे पहले भी इसी अनवान का प्रार्थना पत्र. कृष्ण बनाम अमरसिह अन्तर्गत धारा 251ए प्रार्थना पत्र संख्या 40/2015 प्रस्तुत किया गया था जिससे प्रश्नगत भूमि रोही मौजा चक 6 केएनएन के प0न0 340/375(10) के किला न0 20 ,21 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत कर निवेदन किया था जिसे खारिज करवाकर पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें रोही मौजा चक 6 केएनएन के प0न0 339/377(21) के किला न0 20 ,21 के पश्चिम तरफ से रास्ता मंजुर करवाना चाहते है जबकि सायल व तरतीबी गैरसायलान के खेत के लिये सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते मौजुद है प्रश्नगत रास्ता सायल के लिये कतई सुविधाजनक नही है बल्कि उसके खेत के लिए सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता बेगराज , नानक के खेत से सायल के खेत के लिये सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है

गांव फेफाना से रतनपुरा पक्की सडक बनी हुई है तथा जीतराम , राजाराम के खेत मे से रास्ता नजदीक है तथा सुविधाजनक है तथा गैरसयालान उतरदाता अमरसिह के खेत एक धोरी आड है तथा 10 फुट सडक व 16 फुटी आड सरकार द्वारा स्वीकृत है तथा पक्की आड पश्चिम तरफ से जाती है तथा एक काश्तकार का 8 फुट रास्ता दिया हुआ है अब यह प्रश्नगत रास्ता मंजुर होने से गैरसायल उतरदाता को नुकसान होता है तथा गैरसायल छोटा काश्तकार हे खेत काश्त योग्य नही रहेगा।

गांव से रास्ता नहर से होकर आगे रतनपुरा –फेफाना पक्की सडक से मिल जाता है तथा सायल चार पत्थर आगे मांग करता है जबकि पिछे दो पत्थर रास्ता मौजुदा हे जहॉ से दो किला रास्ता मौजुद है तथा आगे तीन किला चलने पर अपनी ढाणी मुरब्बा न0 16 में पहुच जाता है।

मौका रिपोर्ट अनुसार गिरदावर व पटवारी ने मुरब्बा न0 21 के किला न0 21 में पक्के खाले चेम्बर बना हुआ दर्शाया है जबकि उक्त चैम्बर मु0न0 20 के किला न0 25 में बना हुआ है सायल जहॉ से रास्ता मु0न0 21 के किला न0 20 –21 के उत्तर दक्षिण पश्चिम से चाहा है जो अवरोध हे तथा सायल व तरतीबी गैरसायल मु0न0 20 के किला न0 16 , 25 में होते हुए खेत में जा सकते है इसके अलावा भी सायल के लिए प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य रास्ता उपलब्ध है सायल का प्रार्थना पत्र आधारहीन है जहॉ से सायल ने रास्ता चाहा गया है वह सुविधाजनक नही है ना ही कही जोडता है प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व तरतीबी गैरसायलान अपने गांव चारणवासी से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 के खेत रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 4/3 के प0न0 339/377(21) के किला न0 20 के मिन पश्चिम की 0.013हैक व 21 मिन पश्चिम की 0.013हैक भूमि में से होते हुए अपने खेत के प0न0 339/377 के किला न0 11 में प्रवेश करते है यही रास्ता सुविधाजनक व सबसे नजदीक रास्ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

..2

सायल व तरतीबी गैरसायलान को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यही सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता है जिसे स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल ने पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र अन्य स्थान पर रास्ता स्वीकृत करवाने का पेश किया गया था जिसे खारिज करवाकर गैरसायल संख्या 1 की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने का पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है सायल को पूर्व से ही सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा गया हे वहा पर सिचाई विभाग का चैम्बर बना हुआ है अर्थात रास्ता के बीच में अवरोध होता है सायल मु0न0 20 के किला न0 16 ,25 में से रास्ता प्राप्त कर सकता है जो सुविधाजनक व नजदीकी होगा इसके अलावा सायल को अपनी भूमि में पहुचने के लिये अन्य कई वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है सायल का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे ।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया जिसके अनुसार रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 149/142 की कुल 4.5540हैक्‍ भूमि सायल व तरतीबी गैरसायलान संख्या 3 ता 10 की मुश्तरका खाते की खातेदारी भूमि है तथा रोही मोजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 4/3 की कुल 2.5300हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल का कथन है कि सायल का अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है उक्त रास्ता सुविधाजनक व नजदीकी है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है गैरसायल संख्या 1 का विरोध है कि सायल को अन्य रास्ते उपलब्ध है उक्त रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योकि सिचाई विभाग के चैम्बर से अवरोध पेदा होता है।

गैरसायल ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की सायल को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध है केवल मात्र अपने जबाब में कथन किया गया है कोई साक्ष्य पेश नही किया गया सायल का कथन उचित प्रतीत होता है सायल को उक्त रास्ता के अलावा अन्य रास्ता अपनी भूमि में आवागमन करने के लिये उपलब्ध नही है।

तहसीलदार नोहर की मौजा रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायल वर्तमान में अपनी कृषि भूमि में बनी ढाणी प0न0 339/376(16) के किला न0 19 से कला न0 20 की उतरी से पूर्व से पश्चिम होते हुए किला न0 20 के पश्चिमी दिशा से उतर से दक्षिण होते हुए प0न0 338/321(17) किला न0 25 ,24 ,23 ,22 ,की आड से होते हुए किला न0 21 में स्थित घरेलू रास्ते से होते हुए मुख्य रास्ते पर पहुचते है

सायल की भूमि से स्वीकृत रास्ता प0न0 337/377 में स्थित रास्ता 6 बीधा की दुरी पर है व प0न0339/375 पर स्थित रास्ता 6 बीधा की दुरी पर है तथा मु0न0 21 के चिपता हुआ चालू रास्ता सायल की भूमि के केवल 2 बीधा की दुरी पर है स्वीकृत रास्ता और सायल की खातेदारी भूमि के मध्य केवल गैरसायल की 2.00 बीधा भूमि ही आती है जिसमें से रास्ता दिये जाने से सायल आसानी से अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा अर्थात किला न0 20–21 के उतर पश्चिम से च[illegible] किला न0 21 में पक्के खाले का चैम्बर बना हुआ है भू0अ0 निरीक्षण [illegible] मु0न0 20 [illegible] अंकित किया गया है जो प्रार्थना पत्र में पक्षकार भी नही है तथा [illegible] भूमि तक पहुचता भी नही है जिसमे लिये मु0न0 20 के किला न0 15 में भी थोडा सा [illegible]स्ता देना होगा तभी सायल की भूमि तक पहुचा जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा से सपष्ट है कि सायल की भूमि से अन्य रास्ते 6 बीधा की दुरी पर है तथा सायल की खातेदारी भूमि के सबसे नजदीकी रास्ता मु0न0 21 की पत्थर लाईन पर है जो सायल की भूमि से केवल मात्र दो बीधा की दुरी पर है सायल और स्वीकृतशुद्वा रास्ता के मध्य केवल गैरसायल संख्या 1 की दो बीधा भूमि है जिसमें से रास्ता स्वीकृत करने से सायल अपनी भूमि में सबसे छोटा और सुविधाजनक रास्त से अपनी भूमि में पहुच सकता है

गैरसायल का कथन है कि सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा है उसके किला न0 21 में पक्के खाले का चैम्बर बना है जो अवरोध पैदा करता है प्रथम तो चैम्बर को छोड कर सायल को उसकी भूमि के लिये रास्ता दिया जा सकता है जिससे गैरसायल की भूमि को अधिक नुकसान हो सकता है यहॉ यह उल्लेखनिय है जिसकी भूमि में से रास्ता दिया जा रहा है उसके हितो को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है इसलिये सायल को उसकी खातेदारी भूमि आवागमन करने के लिये गेरसायल के हको को सुरक्षित रखते हुए मु0न0 21 के किला न0 20–21 में मिन पश्चिम के स्थान पर पूर्व की और रास्ता दिया जा सकता है जिससे सायल को उसकी भूमि में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध हो जावेगा और गेरसायल संख्या 1 के हित भी प्रभावित नही होगे रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायल भूमि देने को तैयार है जिंससे भी गैरसायल की भूमि भी पूर्ण हो जावेगी जिससे भी गैरसायल को कोई हानी नही होगी और सायल को भी सीधे स्वीकृत रास्ता से अपनी भूमि तक पहुचने का रास्ता उपलब्ध हो जावेगा।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल को अपनी खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नही है ना ही ऐसा कोई साक्ष्य गेरसायल के द्वार प्रस्तुत किया गया जिससे सायल को उसकी भूमि तक पहुचने के लिये रास्ता उपलब्ध हो मात्र कथन किया गया है कथनो के आधार पर गैरसायल किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा सायल ने अपनी भूमि में आवागमन करने के लिये मु0न0 21 के किला न0 20 ,21 के मिन पश्चिम की तरफ रास्ता चाहा गया है किन्तु किला न0 21 में पक्के खाले का चैम्बर होने के कारण अवरोध होता है और चैम्बर को छोड कर रास्ता दिये जाने के गैरसायल के हको का हनन होगा इसलिये सायल को उसकी भूमि में पहुचने के लिय स्वीकृत रास्ता से मु0न0 21 के किला न0 20 ,21 में मिन पश्चिम के स्थान पर पूर्व की और रास्ता दिये जाने से सायल का उसकी भूमि तक पहुचने का सीधा रास्ता जो मुख्य रास्ता से जुडता है उपलब्ध हो जावेगा और गेरसायल को इस रास्ते की भूमि के बदले भूमि मिलने से गैरसायल के हकों का हनन भी नही होगा अतः उपरोक्तानुसार सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण गैरसायल संख्या 1 की भूमि रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 4/3 के प0न0 339/377(21) के किला न0 20 के मिन पूर्व की 0.013हैक व 21 मिन की पूर्व की 0.013हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 3 ता 10 अपनी भूमि के रोही मौजा चक 6 केएनएन के प0न0 339/377(21) के किला न0 11 में रास्ते की भूमि को छोड कर दक्षिण की 0.026हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 की भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)